



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032020-218943
CG-DL-E-27032020-218943

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]
No. 136]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2020/चैत्र 7, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2020/CHAITRA 7, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2020

फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणिज्यिक/2-एनजीपीएल/शुल्क (3)/2019/खंड-II.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद् द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क का निर्धारण) विनियम, 2008 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण :-

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क का निर्धारण) विनियम, 2008 में अनुसूची क के खंड 3 में स्पष्टीकरण सम्मिलित होगा, नामतः

“स्पष्टीकरण: संशय को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कंपनी के लिए आयकर से संबंधित विधि के अंतर्गत विकल्प के रूप में आयकर की एक से अधिक नाममात्र दरें उपलब्ध हैं तो पूंजीगत नियोजित पर पूर्व-कर की दर की गणना के लिए बारह प्रतिशत की वापसी की दर आयकर की ऐसी नाममात्र दरों में से सबसे कम दर के बाद की आय की गणना के उद्देश्य से मानी जाएगी।”

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./521/19]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 807(अ), दिनांक 20/11/2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि. 986(अ), दिनांक 20/12/2010, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/11/फाइनल शुल्क फाइलिंग, दिनांक 30/5/2012, फा.सं.पीएस/एसईसीवाय./एम (सी)/2012, दिनांक 13/9/2012, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48, दिनांक 17/2/2014, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/100, दिनांक 27/2/2014, फा. सं. एल-मिस/VI/II/2007, दिनांक 01/01/2015, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/110, दिनांक 08/01/2016 और फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणि./2 एनजीपीएल शुल्क (3)/2019, दिनांक 27/5/2019 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

**PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD
NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2020

F.No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2019 Vol-II.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, namely: --

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, in Schedule A, in paragraph 3, the following explanation shall be inserted namely:-

“Explanation- For removal of doubt, it is clarified that in case more than one nominal rates of income tax are available as an option to the entity under the law relating to income tax, the lowest of such nominal rates of income tax shall be considered for the purpose of grossing-up the post-tax rate of return of twelve per cent for computing pre-tax rate of return on capital employed.”

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./521/19]

Foot Note : Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 807(E), dated 20.11.2008 and amended *vide* G.S.R. 986(E), dated 20.12.2010, F.No. PNGRB/M(C)/11/Final Tariff Filing, dated 30.05.2012, F. No. PS/Secy./M(C)/2012, dated 13.09.2012, F. No. PNGRB/M(C)/48, dated 17.02.2014, F.No. PNGRB/M(C)/100, dated 27.02.2014, F.No. L-MISC/VI/I/2007, dated 01.01.2015, F.No. PNGRB/M(C)/110, dated 08.01.2016 and F.No. PNGRB/COM/2 NGPL Tariff (3)/2019, dated 27.05.2019